न्यूज लेटर

सेतु

सेन्टर फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन
द्वारा बाल संरक्षण को समर्पित

unicef unite for children

SPUP Knowledge Is Power

Center for Child protection

फरवरी 2017 अंक: 6

आभार : The Indian Express

निदेशक की कलम से

बाल शोषण अठारह साल की उम्र से कम बालक/बालिका का एक व्यक्ति के साथ भावनात्मक, शारीरिक, आर्थिक और यौन दुराचार की स्थिति है। बाल शोषण एक वैश्विक समस्या है, परन्तु भारत व कई अन्य देशों में बाल शोषण की समस्या के रूप, सीमा, परिमाण और प्रवृत्तियों के बारे में पूर्णतया समझ की कमी है। जीवन की बढ़ती जटिलताओं और भारत में सामाजिक – आर्थिक बदलावों के कारण बच्चों के शोषण को विभिन्न और नए रूपों में बढ़ाने में एक प्रमुख भूमिका निभाई है। बाल शोषण से बच्चे पर गम्भीर शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक – सामाजिक प्रभाव पड़ता है जो उसके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। डब्लूएचओ (WHO) के अनुसार : ''बाल शोषण से सभी प्रकार के शारीरिक या भावनात्मक दुर्व्यवहार, यौन शोषण, उपेक्षा या वाणिज्यिक शोषण, जिसके परिणामस्वरूप बच्चे को स्वास्थ्य, अस्तित्व, विकास या गरिमा को वास्तविक या संभावित हानि होती है, उसे बाल शोषण माना जाता है।

बाल शोषण किसी बच्चे के मूल मानवाधिकारों का उल्लंघन है जिसका कारण पारिवारिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक हो सकता है। बाल शोषण का एक प्रकार है, बाल यौन शोषण। जो हमारे समाज द्वारा सामना की जाने वाली सामाजिक बुराइयों में से सबसे ज्यादा उपेक्षित बुराई है। इसकी उपेक्षा के कारण भारत में बाल यौन शोषण की घटनाऐं बहुत तेजी से बढ़ रही है। इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि इस बुराई के बहुत से आयाम हैं, जिसके कारण समाज इसका सामना करने में असमर्थ है। बाल यौन शोषण न केवल पीड़ित बच्चे पर अपना गहरा प्रभाव छोड़ता है बल्कि पूरे समाज को भी प्रभावित करता है। भारत में बाल यौन शोषण के बहुत से मामलों को दर्ज नहीं किया जाता। क्योंकि ऐसे मामलों को सार्वजनिक करने पर परिवार खुद को असहज महसूस करता है। इसके बारे में एक सामान्य धारणा है कि ऐसी बातें घर की चार दीवारी के अन्दर ही रहनी चाहिए। बाल यौन शोषण की बात के सार्वजनिक हो जाने पर परिवार की गरिमा के खराब होने के बारे में लगातार भय बना रहता है। आज भी अधिकतर अपराधी, पीड़ित का कोई जानकार और पीड़ित के परिवार का जानकार या पीड़ित का कोई करीबी ही होता है। इस निकटता के कारण ही अपराधी लाभ उठाता है क्यों कि वो जानता है कि वो किसी भी तरह के विरोध से बचने में सक्षम है, ये एक पारिवारिक विषय माना जाता है और इसके बाद अपराधी द्वारा बार–बार पीड़ित को प्रताड़ित करने का रूप ले लेता है। ये छेड़छाड़ की घटना बच्चे के मानसिक विकास पर बुरा प्रभाव डालती है। इसके प्रभावों में अवसाद, अनिद्रा, भूख न लगना, डर आदि भयानक लक्षण शामिल हैं।

बाल यौन शोषण को बच्चों के साथ छेड़छाड़ के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। बाल यौन शोषण कई रूपों में होता है। जिससे माता–पिता और बच्चों दोनों को अवगत करा कर रोका जा सकता है। यह इसलिए होता है क्योंकि बच्चों को अश्लील या गलत तरीके से छूने के बारे में नहीं पता होता है और फिर जब बच्चे किसी तरह की छेड़छाड़ का शिकार होते हैं तो इसे पहचानने में असक्षम होता या होती है। इस तरह ये माता–पिता के लिए बहुत आवश्यक हो जाता है कि वो अपने बच्चों से सभी तरह के सहज या असहज छूने के तरीकों के बारे में खुलकर बताऐं। यद्यपि भारतीय दण्ड संहिता 1860 महिलाओं के खिलाफ होने वाले बहुत प्रकार के यौन अपराधों से निपटने के लिए प्रावधान (जैसे : धारा 376, 354 आदि) प्रदान करती है और महिला या

सेंटर फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन
सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा एवं दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय
विशेषांक : बाल शोषण एवं पोक्सो एक्ट (POCSO Act)-2012

पुरूष दोनों के खिलाफ किसी भी प्रकार के अप्राकृतिक यौन सम्बन्ध के लिए धारा 377 प्रदान करती है, लेकिन दोनों ही लड़का या लड़की के साथ होने वाले किसी प्रकार के यौन शोषण या उत्पीड़न के लिए कोई विशेष वैधानिक प्रावधान नहीं है। इस कारण वर्ष 2012 में संसद में यौन (लैंगिक) अपराधों से बालकों की सुरक्षा अधिनियम 2012 इस सामाजिक बुराई से बच्चों की रक्षा करने और अपराधियों को दण्डित करने के लिए एक विशेष अधिनियम बनाया। बच्चों की सुरक्षा के लिए यौन अपराध अधिनियम 2012 का प्रारूप बच्चों को यौन उत्पीड़न और शोषण से बचाने तथा कानूनी प्रावधानों को मजबूती प्रदान करने के लिए तैयार किया गया। बच्चों के प्रति यौन अपराधों के मुद्दे को उल्लेखित करने हेतु पहली बार एक विशेष कानून पारित किया गया। वर्तमान समय में यौन अपराध भारतीय दण्ड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत शामिल किये जाते हैं। आईपीसी (IPC) के तहत बच्चों के खिलाफ सभी यौन अपराधों से निपटने का प्रावधान नहीं है और विशेषकर वयस्क और पीड़ित बालक में भेद नहीं किया जाता। बच्चों की सुरक्षा के लिए यौन अपराध अधिनियम 2012 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष से कम उम्र का हो, बच्चे के रूप में परिभाषित किया गया है। यह अधिनियम हर बच्चे को जो 18 वर्ष से कम उम्र का हो, उसे यौन उत्पीड़न, यौनाचार और अश्लीलता से सुरक्षा प्रदान करता है। ये अपराध स्पष्ट रूप से कानून में पहली बार परिभाषित किये गये। इस अधिनियम के अन्तर्गत कठोर दण्ड का प्रावधान है जो कि अपराध की गम्भीरता के अनुरूप वर्गीकृत है। इस अधिनियम से पहले गोवा बाल अधिनियम 2003 के अन्तर्गत व्यवहारिकता में कार्य लिया जाता था। इस नए अधिनियम में बच्चों के प्रति बेशर्मी या छेड़छाड़ के कृत्यों को अपराध माना गया है।

बाल यौन शोषण आज के समय में एक अपराध है जिससे अनदेखा किया जाता है क्यों कि लोग इस पर बात करने से बचते हैं। इस विषय के बारे में आम जनता और पुलिस में जागरूकता पैदा करने के प्रयासों के द्वारा इस प्रकार के अपराधों को काफी हद तक कम किया जा सकता है। पुलिस द्वारा अपराधियों के मन में डर डाले जाने की आवश्यकता है तो केवल तभी सम्भव है जब हम सभी लोग मिलकर इस समस्या के प्रति जागरूकता फैलायेंगे। माता–पिता द्वारा इस तरह के मुद्दो के बारे में अपने बच्चों को जागरूक बनाने के लिए इस विषय पर विचार–विमर्श करना होगा। विभिन्न पुलिस थानों और शैक्षिक संस्थानों को भी जागरूकता कैंप आयोजित करने होंगे जो सैक्सुएलिटी (लैंगिकता) विषय पर, पोक्सो जैसे कानूनों पर सटीक जानकारी प्रदान करें। इसी जागरूकता को बढ़ाने के लिए सेंटर फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन, पुलिस यूनिवर्सिटी द्वारा इस त्रैमासिक पत्रिका सेतु में बाल यौन शोषण और पोक्सो अधिनियम को विषय विशेष के रूप में चुना गया है।

–डॉ. भूपेन्द्र सिंह (IPS)

बाल शोषण की भारत में स्थिति –

भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा बाल शोषण : भारत 2007 में कराये गये अध्ययन से पता चला कि विभिन्न प्रकार के शोषण और दुर्व्यवहार के सबसे अधिक शिकार होते हैं तथा इन पर खतरा भी सबसे अधिक होता है। इन शोषणों में शारीरिक, यौन और भावनात्मक शोषण शामिल होते हैं।

यह अध्ययन निम्नलिखित तथ्यों पर प्रकाश डालता है –

शारीरिक शोषण – प्रति तीन में से दो बच्चे शारीरिक शोषण का शिकार होते हैं। शारीरिक रूप से शोषित 69 प्रतिशत बच्चों में 54.68 प्रतिशत लड़के थे। 50 प्रतिशत से अधिक बच्चे किसी न किसी प्रकार के शारीरिक शोषण के शिकार थे। पारिवारिक स्थिति में शारीरिक रूप से शोषित बच्चों में 88.6 प्रतिशत का शारीरिक शोषण माता–पिता ने किया। आंध्र प्रदेश, असम, बिहार और दिल्ली से अन्य राज्यों की तुलना में सभी प्रकार के शोषणों के अधिक मामले सामने आये। 50.2 प्रतिशत बच्चे सप्ताह के सात दिन काम करते हैं।

यौन शोषण – 53.22 प्रतिशत बच्चों ने एक या अधिक प्रकार के यौन शोषण का सामना करने की बात कही जबकि 50.76 प्रतिशत बच्चों ने अन्य प्रकार के यौन शोषण की बात स्वीकारी। आंध्र प्रदेश, असम, बिहार और दिल्ली के बच्चों ने यौन प्रताड़ना का सबसे अधिक सामना किया। 50 प्रतिशत शोषित बच्चों के जान–पहचान वाले या विश्वसनीय लोग जिम्मेदार थे।

भावनात्मक शोषण और बालिका उपेक्षा – हर दूसरा बच्चा भावनात्मक शोषण का शिकार हो रहा है। बालक और बालिका के समान प्रतिशत ने भावनात्मक शोषण का सामना करने की बात सवीकार की। 83 प्रतिशत मामलों में माता–पिता ही शोषक थे। 48.4 प्रतिशत लड़कियों ने कहा कि वे लड़के होते तो अच्छा था।

पोक्सो एक्ट क्या है – पोक्सो ;च्ब्ब्द्ध शब्द अंग्रेजी से आता है। इसका पूर्णकालिक मतलब होता है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफसेस एक्ट 2010 यानी लैंगिक उत्पीड़न से बच्चों के संरक्षण का अधिनियम 2012।

इस एक्ट के तहत नाबालिग बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराध और छेड़छाड़ के मामलों में

आभार : The Indian Express

कार्यवाही की जाती है। यह एक्ट बच्चों को सेक्सुअल हैरेसमेंट, सेक्सुअल असॉल्ट और पोर्नोग्राफी जैसे गम्भीर अपराधों से सुरक्षा प्रदान करता है। वर्ष 2012 में बनाए गए इस कानून के तहत अलग–अलग अपराध के लिए अलग–अलग सजा तय की गई है, जिसका कड़ाई से पालन किया जाना भी सुनिश्चित किया गया है।

18 साल से कम उम्र के बच्चों से किसी भी तरह का सौन व्यवहार इस कानून के दायरे में आ जाता है। यह कानून लड़के और लड़की को समान रूप से सुरक्षा प्रदान करता है। इस कानून के तहत पंजीकृत होने वाले मामलों की सुनवाई विशेष अदालत में होती है।

पोस्को अधिनियम के तहत प्रमुख अधिकारियों के कर्तव्य

पुलिस/विशेष किशोर पुलिस इकाई (SJPU)

आभार : Rajasthan Police Academy

- किसी अपराध के कारित होने या ऐसी आशंका की ये कारित हो सकता है से जुडी जानकारियों को दर्ज करना।
- एक प्राथमिक निर्धारण करना कि कही बच्चे को देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता है या नही और अगर ऐसा है तो संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए तुरंत कदम उठाना।
- अपराध कारित होने की रिपोर्ट प्राप्त होने के 24 घंटे के भीतर विशेष न्यायालय और बाल कल्याण समिति को मामले की जानकारी देना।
- अगर बच्चे का उत्पीडन हुआ है या बच्चा जहां रहता है वहां आगे उत्पीडन होने का जोखिम है या बच्चे के पास माता–पिता का सहारा नही है तो बच्चे को 24 घंटो के भीतर बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश करना।
- बच्चे को चिकित्सकीय जांच के लिए सरकारी अस्पताल ले जाना या अगर सरकारी अस्पताल पर पंजीकृत चिकित्सक उपस्थित नही है तो निजी अस्पताल में ले जाना।
- सुनिश्चित करना कि अगर आवश्यक हो तो बच्चे को नजदीकी अस्पताल मे आपातकालीन चिकित्सकीय देखभाल मिले।
- बच्चे की पसंद के स्थान पर उसके बयान दर्ज करना।
- यह सुनिश्चित करना कि जांच के दौरान बच्चे को आरोपी के सामने नही ले जाया गया है।
- प्रक्रिया, मामले में प्रगति और बच्चे, माता–पिता /संरक्षक, आश्रय व्यक्ति को सेवाओं आदि के बारे में जानकारी प्रदान करना।
- यह सुनिश्चित करना कि बच्चे के बयान नजदीकी महिला न्यायाधीश द्वारा और 24 घंटे के भीतर दर्ज किये जायें।

बाल कल्याण समिति (CWC)

- उस बच्चे के लिए जिसका उत्पीडन हुआ है या जो उत्पीडन की धमकी का सामना कर रहा है के लिए तीन दिन में एक उचित स्थान का निर्धारण करना।
- जांच और परीक्षण के दौरान बच्चे और उसके माता–पिता, संरक्षक या जिस व्यक्ति पर उसे भरोसा है उसकी सहमति से बच्चे को सहायता (चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक, प्रायोजनकर्ता आदि) हेतु सहयोग करने वाला व्यक्ति उपलब्ध करवाना।

जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU)

- भाषानुवादक और अनुवादक एवं विशेष शिक्षक के नाम, पता और संपर्क विवरण सहित एक रजिस्टर बनाना।
- विशेष किशोर पुलिस इकाई, स्थानीय पुलिस, न्यायाधीश और विशेष न्यायालय को रजिस्टर उपलब्ध करवाना।
- उपरोक्त विशेषज्ञों को उनकी सेवाओं के लिए कोषों से स्व–विवेक के आधार पर भुगतान करना।

न्यायाधीश

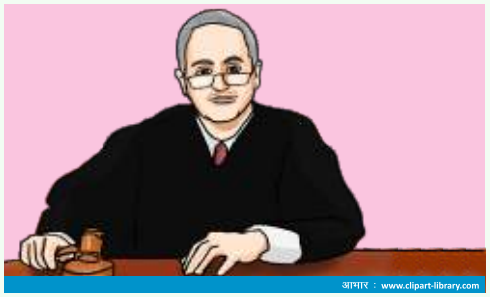
आभार : www.clipart-library.com

- बाल अनुकूल तरीके से और ओडियो–वीडियो इलेक्ट्रोनिक साधनों के जरिये अगर जरूरी हो तो विशेषज्ञों, विशेष शिक्षकों, अनुवादकों या भाषानुवादकों के सहयोग से बच्चे के बयानों को दर्ज करना।
- यौन अपराध की पुलिस को सूचना प्राप्त होने के 24 घंटे के भीतर बयान दर्ज करना।
- बच्चे और उसके माता–पिता या प्रतिनिधियों के लिए ऐसे दस्तावेजों की प्रति उपलब्ध करवाना जिन पर अभियोजन पक्ष निर्भर है।

विशेष न्यायालय और न्यायाधीश

- पोक्सो अधिनियम के तहत अपराधों का कैमरा परीक्षण। (In Camera Trial)
- यह सुनिश्चित करना कि न्यायालय में के परीक्षण (Trails) के दौरान बाल अनुकूल वातावरण रखा गया है और बच्चे की गरिमा, हित और पहचान का संरक्षण करना।
- बच्चे के साक्ष्यों को 30 दिन के भीतर दर्ज करना और मामले को शुरू करने के 1 वर्ष के भीतर परीक्षण ;जतंपसेद्ध को यथा संभव पूरा करना।
- उचित मामलों में क्षतिपूर्ति के भुगतान का आदेश देना।

विशेष सरकारी अभियोजक

- खासतौर से पोक्सो अधिनियम के तहत मामलों का अभियोजन।

सहायक व्यक्ति (Support Person)

- बच्चे से जुडी सभी सूचनाओं जिन तक उसकी पहुंच है की गोपनीयता बनाये रखना।
- बच्चे, माता–पिता/संरक्षण अथवा अन्य कोई व्यक्ति जिस पर बच्चा भरोसा करता है और विश्वास है उसे, न्यायिक प्रक्रियाओं और संभावित परिणामों सहित मामले की प्रक्रिया से अवगत रखना।
- बच्चे को उसकी न्यायिक प्रक्रिया में भूमिका के बारे में जानकारी देना।

केंद्र सरकार

आभार : Parliament of India

- पोक्सो अधिनियम के प्रावधानों को नियमित अंतराल पर टेलीविजन, रेडियो और प्रिंट मीडिया के जरिये व्यापक प्रचार प्रदान करना।
- सरकारी अधिकारियों, पुलिस और अन्य को अधिनियम के क्रियान्वयन से जुडे मामलों पर समय–समय पर प्रशिक्षण देना।
- अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए नियम तैयार करना।

राज्य सरकार

- पोक्सो अधिनियम के तहत् प्रत्यके जिले में
- विशेष न्यायालय बनाने के लिए सत्र न्यायालय को नामांकित करना।
- ऐसे सभी विशेष न्यायालय के लिए विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति करना।
- जनता, खासतौर से बच्चों, उनके माता–पिता और संरक्षकों में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए नियमित अंतराल पर अधिनियम के प्रावधानों के व्यापक प्रचार को प्रोत्साहित करना।
- राज्य सरकार के पुलिस एवं अन्य अधिकारियों को अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन से जुडे मामलों पर प्रशिक्षण प्रदान करना।
- बच्चे को परीक्षण–पूर्व और परीक्षण के चरण पर सहयोग से जुडे सभी व्यक्तियों द्वारा प्रयोग हेतु दिशा–निर्देश तैयार करना। इसमें गैर–सरकारी संगठन, पेशेवर और विशेषज्ञ जो मनोविज्ञान, सामाजिक कार्य, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और बाल विकास की जानकारी रखने वाले लोग सम्मिलित हैं।
- विशेष न्यायालय के आदेश की 30 दिन की अवधि में पीडित राहत कोष या अन्य योजनाओं से राहत हेतु क्षतिपूर्ति का भुगतान और पीडितों का पुनर्वास करना।
- बाल पीडितों को परीक्षण के दौरान सहायता हेतु सहयोग के लिए व्यक्ति प्रदान करना।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (SCPCR)

- केंद्र और राज्य सरकार द्वारा पोक्सो अधिनियम के क्रियान्वयन की निगरानी करना।
- विशेष मामलों में बाल कल्याण समिति को रिपोर्ट के लिए कहना।
- अपने वार्षिक प्रतिवेदन के पृथक अध्याय से अधिनियम के क्रियान्वयन पर सूचना देना।

पोक्सो एक्ट के प्रमुख विशेषताऐं (Salient Features of POCSO Act) –

प्रवेशन लैंगिक हमला (Penetrative Sexual Assault) -

- जब कोई व्यक्ति प्रवेशन लैंगिक हमला तब करता है, जब अपना लिंग (Penis), कोई वस्तु या शरीर का कोई भाग जो लिंग नहीं है, किसी सीमा तक बालक, बालिका या अन्य के योनि, मुँह, मूत्रमार्ग या गुदा में प्रवेश करता है, पीड़ित बालक से करवाता है या किसी दूसरे व्यक्ति से करवाता है।
- बालक के शरीर के किसी भाग के साथ ऐसा प्रयास करता है कि वह बालक के योनि, मूत्रमार्ग या गुदा या बालक के शरीर के किसी भाग में प्रवेश कर सके या बालक से ऐसा करवाता है या किसी अन्य व्यक्ति के साथ करवाता है।
- बालक के लिंग, योनि, गुदा या मूत्रमार्ग पर अपना मुँह लगाता है या किसी दूसरे का मुँह लगवाता है या बालक से मुँह लगवाता है, तो पोक्सो की धारा – 3 के तहत ऐसा कृत्य अपराध होगा।

इस प्रकार का अपराध किसी महिला, किसी पुरूष या किसी तीसरे लिंग के व्यक्ति या पुरूष द्वारा किया जा सकता है, और वह अपराध होगा।

गुरूतर लैंगिक प्रवेशन (Aggravated Penetrative Sexual Assault) : पोस्को की धारा 5 के अनुसार जब धारा 3 के तहत होने वाला प्रवेशन लैंगिक हमला निम्न व्यक्तियों या परिस्थिति में किया जाता है तो वह गुरूतर प्रवेशन लैंगिक हमला होगा।

- किसी पुलिस अधिकारी द्वारा प्रवेशन लैंगिक हमला।
- सशस्त्र बल, सुरक्षा बल के सदस्य द्वारा प्रवेशन लैंगिक हमला।
- लोक सेवक द्वारा प्रवेशन लैंगिक हमला।
- किसी जेल, रिमाण्ड होम, संरक्षण गृह, सम्प्रेषण गृह या अभिरक्षा में प्रबन्ध या अन्य कर्मचारियों द्वारा देखरेख या संरक्षण के स्थान पर किया गया प्रवेशन लैंगिक हमला।
- हॉस्पिटल (सरकारी या प्राइवेट) के स्टाफ या मैनेजमेंट द्वारा उसी हॉस्पिटल में किया गया प्रवेशन लैंगिक हमला।
- शैक्षणिक संस्था या धार्मिक संस्था का प्रबन्ध या स्टाफ द्वारा उसी संस्था में किया गया प्रवेशन लैंगिक हमला।
- सामूहिक प्रवेशन लैंगिक हमला (Gang penetrative sexual assault) करने वाला।
- घातक, आयुद्ध, अग्निअस्त्र आदि का प्रयोग कर अपराध करने वाला।
- बालक को घोर उपहति कारित (Grievous hurt) करने वाला या घातक संक्रमण फैलाने वाला, शारीरिक – मानसिक रोगी बनाने वाला प्रवेशन लैंगिक हमला।
- जो इस अपराध के द्वारा बालक को गर्भवती करता है।
- अगर कोई बालक के मानसिक या शारीरिक अशक्तता का लाभ उठाकर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है।
- जो एक से अधिक बार एक ही बालक पर

- प्रवेशन लैंगिक हमला करता है।
- जो कोई रिश्तेदार या घरेलू सम्बन्ध में रहकर बालक के साथ प्रवेशन लैंगिक हमला करता है।
- जब 12 वर्ष से कम आयु के बालक के साथ प्रवेशन लैंगिक हमला करता है।
- जब बालक को सेवा देने वाले किसी संस्था के स्वामी, प्रबन्ध या स्टाफ द्वारा प्रवेशन लैंगिक हमला किया जाता है।
- जब किसी द्वारा न्यासी या प्राधिकारी होते हुए प्रवेशन लैंगिक हमला कहीं भी किया जाता है।
- जब बालक गर्भवती हो यह जानते हुए भी प्रवेशन लैंगिक हमला किया जाता है।
- जब धारा 3 के तहत अपराध करने के साथ बालक की हत्या करने का प्रयास किया जाता है।
- सामुदायिक या पंथिक हिंसा में प्रवेशन लैंगिक हमला किया जाता है।
- जो पूर्व में पोक्सो एक्ट के तहत दोषसिद्धि है उसके द्वारा प्रवेशन लैंगिक हमला किया जाता है।
- जब प्रवेशन लैंगिक हमला करने के बाद बालक को सार्वजनिक रूप से नंगा किया जाता है या नंगा करके प्रदर्शन कराया जाता है।

लैंगिक हमला (Sexual Assault) — धारा 7 के मुताबिक जो कोई लैंगिक आशय से बालक की योनि, लिंग, गुदा, स्तनों (Breast) को छूता या बालक से स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति की योनि, लिंग, गुदा स्तनों को स्पर्श कराता है या लैंगिक आशय के साथ ऐसा कोई अन्य कार्य करता है जिसमें प्रवेशन बिना शारीरिक अन्तर्ग्रस्त होता है तो उसके द्वारा लैंगिक हमले का अपराध होगा। इस प्रकार का अपराध किसी महिला, किसी पुरूष या किसी तीसरे लिंग के व्यक्ति या पुरूष द्वारा किया जा सकता है, और वह अपराध होगा।

लैंगिक उत्पीड़न (Sexual Harassment) —

- किसी व्यक्ति द्वारा जब लैंगिक आशय से कोई शब्द कहा जाए, अंग विक्षेप (Gesture) किया जाए, कोई वस्तु या शरीर का कोई भाग प्रदर्शित करता है या करती है कि बालक द्वारा वह शब्द या ध्वनि सुनी जाए अंग विक्षेप, वस्तु या शरीर देखा जाए।
- लैंगिक आशय से उस व्यक्ति द्वारा या अन्य किसी व्यक्ति द्वाराकिसी बालक का शरीर या शरीर का कोई भाग प्रदर्शित करने के लिए कहता है।
- जब बालक को अश्लील प्रयोजन (Pornographic purpose) से किसी प्रारूप में, कोई साहित्य या कोई वस्तु दिखाया जाता है।
- जब कोई व्यक्ति लैंगिक आशय से बालक का पीछा या तो सीधे या यह पीछा इलैक्ट्रोनिक अंकीय किसी अन्य साधनों द्वारा किया जाता है या बालक को निरन्तर देखता है या सम्पर्क बनाता है या बनाती है।
- लैंगिक कृत्य में बालक का चित्र या विडियो बना कर उसे किसी भी रूप में उपयोग करने की धमकी देता है या देती है।
- अश्लील प्रयोजनों के लिए किसी बालक को प्रलोभन या पारितोषण देता है या देती है।

पोक्सो मामले की रिपोर्ट करना — धारा 19(1) के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो यह जानकारी रखता है कि पोक्सो एक्ट के तहत कोई अपराध हुआ है या होने की आशंका है तो वह स्थानीय पुलिस या विशेष किशोर पुलिस इकाई (Special Juvenile Police Unit) को उसकी सूचना देगा।

धारा 20 के अनुसार मीडिया, होटल, लॉज, अस्पताल, क्लब, वीडियो या फोटो चित्रण सम्बन्धित सुविधाओं का कोई व्यक्ति किसी सामग्रियों, वस्तु जिसकी किसी माध्यम के उपयोग से किसी बालक के लैंगिक शोषण से सम्बन्धित है तो उसकी जानकारी स्थानीय पुलिस या विशेष किशोर पुलिस ईकाई (Special juvenile police unit)को देगा।

धारा 21 के प्रावधान के तहत कोई व्यक्ति जो धारा 19(1), 20 के अनुसार हुए अपराध की सूचना पुलिस या विशेष किशोर पुलिस इकाई को नहीं देता है तो उसके द्वारा सूचना नहीं देना अपराध होगा। इसके लिए 6 माह का कारावास और जुर्माने का प्रावधान है।

मीडिया के लिए प्रक्रिया (Procedure For Media) — धारा 23 के तहत कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार की मीडिया या चित्रण सम्बन्धित अभिप्रमाणित सूचना रखे बिना बालक के सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट नहीं करेगा या उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करेगा, जिससे बालक की प्रतिष्ठा हनन या उसकी गापनीयता का अतिलंघन होना प्रभावित होता है। किसी मीडिया से कोई रिपोर्ट बालक की पहचान, जिसके अन्तर्गत उसका नाम, पता, फोटोग्राफ, परिवार, विद्यालय, पड़ौस, कोई दूसरा प्रगटन जिससे बालक का पहचान का प्रगटन होता हो तो वह प्रकाशित नहीं हो सकेगा। अगर किसी के द्वारा ऐसा किया जाता है तो वह अपराध होगा। इसके लिए अधिकतम 1 वर्ष का कारावास और जुर्माने का प्रावधान है।

सरदार पटेल, सुरक्षा एवं दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय के उपकुलपति डॉ. भूपेन्द्र सिंह (IPS) ने एवं अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस ए.एच. टी.यू राजीव शर्मा (IPS) ने बाल संरक्षण विषय पर ऑनलाईन कोर्स को शुभारम्भ किया। यह कोर्स सेन्टर फॉर चाईल्ड प्रोटेक्शन की वेबसाईट www.centreforchildprotection.org पर पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध है। वेबसाईट पर Login करके इस कोर्स को किया जा सकता है।

THE HINDU

Online course in child protection launched

Jodhpur varsity launches course in collaboration with UNICEF

यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पोक्सो) तथा भारतीय दंड संहिता के तहत अपराधों के लिए सजा की तुलना

अपराध	भा.दं.सं. (IPC) के तहत प्रावधान	पोक्सो (POCSO Act) के तहत प्रावधान
यौन अपराध दर्ज करने में असफल (Failure to record a sexual offence)	**धारा 166ए(सी)** : किसी सरकारी कर्मचारी के संदर्भ में कानून में दिये गये निर्देशों की अनुपालना नही करना (किसी विशेष यौन अपराध के संदर्भ में उसे प्रदान की गई सूचना को दर्ज करने में असफलता) **सजा** **न्यूनतम** – 6 माह कठोर कारावास **अधिकतम** – 2 वर्ष एवं जुर्माना	**धारा 21(1)** : किसी मामले के बारे में रिपोर्ट या केस दर्ज नही करने के लिए दंड **सजा** : 6 माह तक का (साधारण/कठोर) कारावास और/या जुर्माना।
यौन उत्पीडन (Sexual harassment)	**धारा 354ए** : स्पर्श और गैर–स्पर्श आधारित यौन अपराध इस धारा के अंतर्गत आते हैं। **सजा** के अपराध के लिए : शारीरिक संपर्क बनाना और अवांछित सहित खुलकर यौन प्रस्ताव सहित **यौन सहयोग की मांग** महिला की इच्छा के विरूद्ध उसे अश्लील चीजे दिखाना 3 वर्ष तक का कठोर कारावास और/या यौन रूप से रंगीन टिप्पणी के लिए जुर्माना : 1 वर्ष तक का (साधारण/कठोर) कारावास और/या जुर्माना	**धारा 11** : इस धारा में केवल गैर–स्पर्शीय यौन अपराध शामिल हैं। ऐसे अपराध जिनमें शारीरिक संपर्क सम्मिलित हो वे अधिक गंभीर अपराध हैं और धारा 7 के अंतर्गत आते हैं (यौन उत्पीडन.मगनंसें नसज) **सजा** 3 वर्ष तक का (साधारण/कठोर) कारावास और जुर्माना।
बच्चे को नंगा करना (Stripping a child)	**धारा 354बी** : उत्पीडन या किसी महिला को नंगा करने के आशय से आपराधिक शक्ति का उपयोग करना एक अपराध है। **सजा** **न्यूनतम** : 3 वर्ष (साधारण/कठोर कारावास) **अधिकतम** : 7 वर्ष (साधारण/कठोर कारावास) एवं जुर्माना	**धारा 11** (यौन उत्पीडन- Sexual harassment) में किसी बच्चे को उसके शरीर या शरीर के किसी हिस्से को दिखाने के लिए कहना। **सजा** 3 वर्ष तक के साधारण/कठोर कारावास और जुर्माना **धारा 5(यू) और 9(यू)** : यहां इन प्रावधानों में किसी बच्चे को अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों के सामने नंगा करना (प्रवेशन लौंगिक हमला अथवा गैर प्रवेशन लौंगिक हमला के साथ) **सजा** छेडछाड यौन आक्रमण (Penetrative Sexual Assault) के साथ बच्चे को अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों के सामने नंगा करना : **न्यूनतम** : 10 वर्ष का कठोर कारावास **अधिकतम** : आजीवन कारावास और जुर्माना यौन आक्रमण (Non penetrative) के साथ बच्चे को अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों के सामने नंगा करना: **न्यूनतम** : 5 वर्ष कठोर कारावास **अधिकतम** : 7 वर्ष कठोर कारावास और जुर्माना।
बच्चे का पीछा करना (Stalking a child)	**धारा 354डी**: पीछा करने का अपराध शामिल है **सजा** **प्रथम बार करने पर** : 3 वर्ष तक का साधारण/कठोर कारावास और जुर्माना **बार–बार करने पर** : 5 वर्ष तक का साधार/ कठोर कारावास और जुर्माना	**धारा 11** : यौन हमले (Sexual Harassment)के अपराध में पीछा करने वाला अपराध भी सम्मिलित है। **सजा** 3 वर्ष तक का साधारण/कठोर कारावास और जुर्माना
बच्चे का बलात्कार	**धारा 376(1)**: सजा **न्यूनतम** : 7 वर्ष का कारावास	**धारा 3 और 5 क्रमश**: प्रवेशन लौंगिक हमला (Penetrative sexual assault) और आक्रामक प्रवेशन लौंगिक हमला

अपराध	भा.दं.सं. (IPC) के तहत प्रावधान	पोक्सो (POCSO Act) के तहत प्रावधान
(Rape of a child)	**अधिकतम** : आजीवन कारावास और जुर्माना धारा 376(2) के तहत आक्रामक बलात्कार: **सजा** **न्यूनतम** : 10 वर्ष का कठोर कारावास **अधिकतम** : व्यक्ति के शेष बचे प्राकृतिक जीवन तक और जुर्माना	(Aggravated penetrative sexual assault) हमले के बारे में है **सजा** प्रवेशन लौंगिक हमला **न्यूनतम** : 7 वर्ष का साधारण / कठोर कारावास **अधिकतम** : आजीवन कारावास और जुर्माना आक्रामक प्रवेशन लौंगिक हमला **न्यूनतम** : 10 वर्ष कठोर कारावास **अधिकतम** : आजीवन कारावास और जुर्माना
बच्चे का किसी अधिकार प्राप्त व्यक्ति द्वारा बलात्कार (Rape of a child by a person in authority)	**धारा 376सी**: किसी अधिकार प्राप्त व्यक्ति द्वारा यौन संभोग के संदर्भ में है **सजा** **न्यूनतम** : 5 वर्ष का कारावास **अधिकतम** : 10 वर्ष और जुर्माना	**धारा 5(पी)** : किसी विश्वसनीय और अधिकार प्राप्त स्थिति वाले व्यक्ति द्वारा एक बच्चे के साथ जबरदस्ती यौन हमले के अपराधों के बारे में है। **सजा** **न्यूनतम** : 10 वर्ष का कठोर कारावास **अधिकतम** : आजीवन कारावास और जुर्माना।
सामूहिक बलात्कार (Gang rape)	**धारा 376डी** : सामूहिक बलात्कार के बारे में है। सजा **न्यूनतम** : 20 वर्ष कठोर कारावास **अधिकतम** : व्यक्ति के शेष बचे प्राकृतिक जीवन तक कारावास और जुर्माना	**धारा 5(जी)** : जबरदस्ती सामूहिक प्रवेशन लौंगिक हमला के बारे में है। **सजा** **न्यूनतम** : 10 वर्ष कठोर कारावास **अधिकतम** : आजीवन कारावास एवं जुर्माना
आवृत्त यौन अपराधी (Repeat sexual offenders)	**धारा 376ई** : बार–बार बलात्कार का अपराध कारित करने के संदर्भ में है। **सजा** **न्यूनतम**: व्यक्ति के शेष बचे प्राकृतिक जीवन तक **कारावास** **अधिकतम** : मौत धारा 354डी में बार–बार पीछा करने के अपराध के प्रावधान दिये गये हैं और इसके अंतर्ग 5 वर्ष तक के साधारण / कठोर कारावास और जुर्माने की सजा हो सकती है।	**पोक्सो में आवृत्त अपराधियों के लिए प्रावधान सम्मिलित हैं** **धारा 5(टी)** : किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रवेशन लौंगिक हमला (Penetrative sexual assault) करना जिसे किसी भी कानून के तहत यौन अपराध के लिए अपराधी ठहराया गया है । **धारा 9(टी)** : किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा यौन हमला (Sexual assault) करना जिसे किसी भी कानून के तहत यौन अपराध के लिए अपराधी ठहराया गया है। **धारा 14(1)** : किसी बच्चे का बार–बार अश्लीलता (Pornographic) के उद्देश्यों के लिए प्रयोग करना। **सजा** जबरदस्ती यौन हमला करने के दौरान बार–बार प्रवेशन लौंगिक हमला कारित करना : **न्यूनतम** : 10 वर्ष का कठोर कारावास **अधिकतम** : आजीवन कारावास और जुर्माना यौन हमला (Non penetrative) करते समय यौन अपराधों की बारंबारता सजा **न्यूनतम** : 5 वर्ष का साधारण / कठोर कारावास **अधिकतम** : 7 वर्ष और जुर्माना अश्लील अपराधों के लिए किसी बच्चे के प्रयोग का बार–बार अपराध करना। 7 वर्ष तक का साधारण / कठोर कारावास और जुर्माना
किसी महिला की लज्जा का अपमान करना (Insulting the modesty of a woman)	**धारा 509** : किसी महिला की लज्जा के अपमान के बारे में है। **सजा** 3 वर्ष तक का साधारण कारावास और जुर्माना	**धारा 11** : यौन शोषण के साथ बर्ताव करने में यह अपराध सम्मिलित है। **सजा** 3 वर्ष तक का (साधारण / कठोर) कारावास और जुर्माना

बाल शोषण क्या है?

गाली गलोच करना, मारना

चिढ़ाना

अश्लील चित्र या किताब दिखाना

ऐसे छूना जिससे बच्चा असहज, असहाय या लज्जित महसूस करें।

बच्चे से खुद को स्पर्श करवाना

छोटे या कमजोर बच्चे को डराना

धमकाना व तंग करना

बलात्कार

मजदूरी करवाना

Illustrations By : Jayamini De Silva

इस न्यूज लेटर का उद्देश्य पाठकों को बच्चों के अधिकारों से संबंधित पुलिस, सरकार, एवं अन्य लोगों, संस्थाओं द्वारा किये जा रहे प्रयासों से अवगत कराना है। इस न्यूजलेटर हेतु पाठकों के सुझाव, अनुभव, लेख सादर आमंत्रित है।

E-mail : ccp@policeunivercity.ac.in

न्यूज लेटर लेखन एवं संपादन :

सेन्टर फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन

सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा एवं दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, राजस्थान

संपादकीय टीम :– डॉ भूपेन्द्र सिंह, संजय कुमार निराला, श्रद्धा पाण्डे, डॉ विजेन्द्र सिंह, प्रवीण सिंह।